



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);


पत्रांक: एफ(20)आकाशि/नि.सं./पॉलिसी/2020/ 305 दिनांक 1-12-2020

आदेश

कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के कारण निजी संस्थाओं को दस्तावेजों की प्राप्ति व प्रेषण के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2020-21 के लिए टीएनओसी अभिवृद्धि, हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की पूर्व निर्धारित तिथियों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है-


क्र.सं.	विवरण	पूर्व निर्धारित अन्तिम तिथि	नवीन अन्तिम तिथि
1	टीएनओसी अभिवृद्धि	30.11.2020	31.12.2020

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(डॉ अल्पना व्यास)
संयुक्त निदेशक(नि.सं.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
5. नोडल राजकीय महाविद्यालयों को भेज कर लेख है कि वे उक्त प्रकरणों से सम्बन्धित निरीक्षण रिपोर्ट/निर्धारित प्रारूप में कमीपूर्ति की प्रमाणित हार्ड कॉपी संस्था के माध्यम से आयुक्तालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित निजी महाविद्यालयों को भेज कर लेख है कि आवश्यकतानुसार कार्यवाही करें।
7. वेब प्रभारी को अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(नि.सं.)